(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

कजोडमल बनाम बद्री वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 49 सन् 2025

Gcms 2025/290

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.25	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस में निवेदन किया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 481, 7, 9 कुल किता 20 कुल रकबा 7.9791 हैक्ट. व भूमि आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.3414 हैक्ट. व खसरा नम्बर 34, 41/1588 कुल किता 02 कुल रकबा 2.8831 हैक्ट. वाके ग्राम फ्यावडी, पटवार हल्का फ्यावडी तह0 पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है, शेष हिस्सा प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है, किन्तु पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् तकासमा नही हुआ है, जिसका अनैतिक रूप से फायदा उठाकर प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात को बिना विधिवत् विभाजन करवाये आराजी को बेचान कर अन्य लोगो को काबिज करवाने पर आमादा है।जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 481, 7, 9 कुल किता 20 कुल रकबा 7.9791 हैक्ट. व भूमि आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.3414 हैक्ट. व	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

	खसरा नम्बर 34, 41/1588 कुल किता 02 कुल रकबा 2.8831 हैक्ट. वाके ग्राम पयावडी, पटवार हल्का पयावडी में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखें। तलबी प्रतिपक्षीगण जारी हो, यदि इस आदेश के जारी होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 01.07.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)
01/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 02 की ओर से श्री चतुर्भुज गुर्जर व श्री हरिनारायण गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिपक्षी संख्या 02 व शेष की तलबी हेतु दिनांक 08.07.25 को पेश हो।
08/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 02 उप.। प्रतिपक्षी संख्या 01, 03 लगा. 06, 11, 12 की तामिल पेश हो। प्रतिपक्षी संख्या 07 लगा. 10 की ओर से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर एड. व श्री हरिनारायण गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिपक्षी संख्या 02, 07, 08, 09, 10 दिनांक 16.07.25 को पेश हो।
16/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थी उपस्थित/दी ... अनुपस्थित ... वकालतनामा पर ... पत्रावली दि... अनुसार निर्णय ... 8.8.25 ......पेश हो। Ram

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.................................मुकाम.................................

कजोड़मल ....बनाम.......... बद्री वगै.

किस्म मुकद्दमा.................नं. 49 ....सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/07/25	प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.25 से लम्बित किये जाने बाबत प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त उनवानी प्रकरण मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच राजीनामा हो जाने से प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे आगे कोई अनुतोष नही चाहता है। अत: प्रा.पत्र विड्रो किया जावे। प्रस्तुत प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा.पत्र विड्रो किये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली विड्रो की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner